



2026:AHC:180670

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5047 वर्ष 2026

श्याम यादव @ शंभू यादव

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राहुल यादव, संजीव यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : दिनेश राय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल यादव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. सूची पुनः पुकारी गयी मैं भी शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 062 वर्ष 2026 में, धारा 319(2), 318(4), 123, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धारा 18/27 के तहत, थाना - रानी की सराय, जिला आजमगढ़ में अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रारंभ में प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) और 318(4) के तहत दर्ज की गई थी। बाद में, विवेचना के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 123, 61(2), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धारा 18/27 जोड़ी गई। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह आरोप है कि अजय यादव को दुबई पुलिस ने हवाई अड्डे पर मॉर्फिन की 740 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। उसने बताया कि उक्त गोलियां उसे आवेदक और सह-आरोपी विनोद यादव उर्फ गुड्डू और लालजीत यादव ने सौंपी थीं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि अजय यादव का बयान दुबई पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उपर्युक्त गोलियां उन्हें कदू यादव ने सौंपी थीं। अवर न्यायालय के समक्ष उनका बयान दर्ज होने पर उन्होंने फिर से यही कहा कि उपर्युक्त गोलियां उन्हें कदू यादव ने दी थीं। अजय यादव ने आवेदक का नाम नहीं लिया था। आगे यह भी बताया गया कि अजय यादव को दुबई पुलिस ने 25.09.2025 को गिरफ्तार किया था और लगभग छह महीने बाद 14.03.2026 को दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि सह-आरोपी संदीप विश्वकर्मा, जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 02.07.2026 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया है। इस प्रकरण के प्रथम शिकायतकर्ता ने अजय यादव को दुबई में किसी को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित दवाएं देने का झूठा आरोप बहुत लंबे समय बाद लगाया है, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण उसने नहीं दिया है। दुबई न्यायालय के दोषसिद्धि निर्णय को देखने से आवेदक की निर्दोषता स्पष्ट है। यदि आवेदक कथित अपराध में शामिल होता, तो अजय यादव दुबई में पुलिस अधिकारियों और अवर न्यायालय के समक्ष उसका नाम लेता। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत



दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने (जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है), न्याय से भागने (जैसे देश छोड़कर भाग जाना) आदि की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रकरण है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाती है, या प्रकरण जघन्य अपराध का हो, या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर करना आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपार क्षति पहुंच सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, और वास्तव



में उसने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई दायित्व नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत याचिका निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** की जाती है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक- **श्याम यादव उर्फ शंभू यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित थाना के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करे।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विवेचना अधिकारी को सूचना करेगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

31 अगस्त, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।